

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-२(अ)

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की क्रम संख्या FP/CG/TRANS/8080/2014

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	765 के.व्ही. द्वि झारसुगुडा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पूर्विंग स्टेशन लाइन-2 तक संचरण पथ का निर्माण पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम), ग्राम+पोस्ट-कोतरा,तह.-रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)							
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़							
(ii)	जिला	रायगढ़							
(iii) अ) वन भूमि के अधिन भूमि में : –									
अनु. क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वन परिक्षेत्र	विद्युत लाईन का सेक्शन	वन खंड	कक्ष क्रमांक	विद्युत् लाईन की लंबाई (मी.)	विद्युत् लाईन की चौड़ाई (मी.)	आवेदित क्षेत्रफल हे. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	छाल	AP60-62	आरक्षित वन क्षेत्र	517	1500	67	10.0500
				AP58-59	संरक्षित वन क्षेत्र	491P	425	8	0.3400
योग :-							1925		10.3900

ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-

अनु. क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वन परिक्षेत्र	ग्राम	विद्युत लाईन का सेक्शन	खसरा नं.	विद्युत् लाईन की लंबाई (मी.)	विद्युत् लाईन की चौड़ाई (मी.)	आवेदित क्षेत्रफल हे. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	छाल	औरानारा	AP63-64	8/1क	80	67	0.5360
				लामिखार	AP58-59	46/2क	863	59	5.0917
				लामिखार	AP56-57	56/2क	360	67	2.4120
				लामिखार	AP56-57	214/2क	220	67	1.4740
				योग :-			1523		9.5137

कुल प्रभावित क्षेत्रफल/आरक्षित वन-खंड + संरक्षित वन-खंड + नारंगी वन-खंड + राजस्व वन-खंड = 19.9037 हे

तिथि :- 01.03.2017

स्थान :- धरमजयगढ़

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर अधिकारी

धरमजयगढ़ वन मंडल

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-२(ब)

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की क्रम संख्या FP/CG/TRANS/8080/2014

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	765 के.व्ही. द्वाि झारसुगुडा से धरमजयगढ़ (कोरबा) पूर्लिंग स्टेशन लाइन-2 तक संचरण पथ का निर्माण पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम), ग्राम+पोस्ट-कोतरा, तह.-रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़

(iii) अ) वन भूमि के अधिन भूमि में :-

अनु. क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वन परिक्षेत्र	विद्युत लाईन का सेक्शन	वन खंड	कक्ष क्रमांक	विद्युत् लाईन की लंबाई (मी.)	विद्युत् लाईन की चौड़ाई (मी.)	आवेदित क्षेत्रफल हे. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	लैलुंगा	AP4-6	आरक्षित वन क्षेत्र	343 RF	1900	67	12.7300
योग :-							1900		12.7300

ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-

अनु. क.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वन परिक्षेत्र	ग्राम	विद्युत लाईन का सेक्शन	खसरा नं.	विद्युत् लाईन की लंबाई (मी.)	विद्युत् लाईन की चौड़ाई (मी.)	आवेदित क्षेत्रफल हे. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	लैलुंगा	हरादिझारिया	AP1-2	156	160	67	1.0720
योग :-							160		1.0720

कुल प्रभावित क्षेत्रफल /आरक्षित वन-खंड + राजस्व वन-खंड/ = 13.8020 हे

तिथि :- 01.03.17

स्थान :- धरमजयगढ़

हस्ताक्षर

नाम

S. S. Kanwar

सरकारी मोहर
वनसंरक्षण विभाग

(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	33.7057 हे वन भूमि						
(v)	वन की कानुनि स्थिति	आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन						
(vi)	हरियालि का घनत्व	0.2 से 0.9						
(vii)	प्रजाति –वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल. ,एफ.आर.एल.-2 मीटर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	आवेदित वन क्षेत्र में निम्नानुसार वनस्पति पाई जाती है।						
		अनु. क्र.	प्रजाति का नाम	बाटनीकल नाम		अनु. क्र.	प्रजाति का नाम	बाटनीकल नाम
		01	साल	Shorea Robusta		08	नीम	Azadirachata Indica
		02	साजा	Terminalia tomentosa		09	जामुन	Syzyglumcuimini
		03	तेंदु	Diospyrog Meianoxylon		10	धवरा	Anogeissus latifolia
		04	महुवा	Madhuca Indica		11	अन्य मिश्रित	Miscellaneous
		05	आम	Mangifera Indica				
		06	बांस	BambusaDendrocalmus				
		07	बीजा	Pterocarpus marsupium				
(viii)	भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशिलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण नहीं होगा						
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित स्थल वन सीमा के अंदर है						
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान , वन्यजीव, अभ्यारण , जैवमण्डल , रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्यजीव , वार्डन की टिप्पणीया अनुबंधित की जाय।)	नहीं है						
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाती की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हा तो व्योरा दे।	नहीं , उक्त परियोजना से वन्य प्राणियों का जन-जीवन अप्रभावित रहेगा ।						
(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरात्विक/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र मे स्थित हैं। यदि हा तो तत्संबंधित व्योरा सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण के साथ , अपेक्षित हो , दे।	नहीं है						
8	प्रयोक्ता एजेन्सि द्वारा भाग – 1 कालम – 2 मे प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए	आवेदित वन भूमि की मांग प्रयोक्ता एजेन्सि द्वारा की गयी है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।						

	अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि हा तो जाँच गये विकल्पों के साथ मद वर सुस्तुत क्षेत्र क्या है।						
9	क्या अधिनियम के उलंघन मे कोई कार्य किया गया है। यदि हा तो कार्य की अवधी दोशी अधिकारियो पर कि गई कार्यवाही सहित व्यौरा दे।	प्रयोक्ता एजेन्सि द्वारा अधिनियम के उलंघन मे कोई कार्य नहीं किया गया है।					
10	प्रतिपूरक वनीकरण रिकम का व्यौरा						
(i)	प्रतिपूरक वनिकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमिक वन क्षेत्र आस- पास के इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परियोजना के लिए तैयार किया गया मैप में दर्शाया गया है भूखण्डों की संख्या-02					
(ii)	प्रतिपूरक वनिकरण के लिए अभिनिर्धारित वनत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परियोजना के लिए तैयार किया गया मैप में दर्शाया गया है					
(iii)	रोपित किये जाने वाली प्रजातियो सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण का कार्यान्वयन एजोन्सि समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	मिश्रित प्रजाति के 10 वर्षीय उच्च तकनीक सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परियोजना वनमंडलाधिकारी, जांजगीर-चाप्पा वनमंडल द्वारा तैयार किया गया है					
(iv)	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तिय विवरण परिव्यय	रूपये 3,67,83,502/- रूपये 545657 /- प्रति हेक्टेयर					
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकी की दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	क्र. स.	परिक्षेत्र/ वनमंडल	कक्ष क्रमांक	कक्ष का कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	उपयुक्तता प्रमाण पत्र
		1	बलौदा/ जांजगीर-चांपा	आर.एफ. 80	267.196 हे.	30.902 हे.	उक्त स्थल में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
		2	बलौदा/ जांजगीर-चांपा	आर.एफ. 80	267.196 हे.	36.509 हे.	उक्त स्थल में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
		कुल रकबा				67.411हे.	
11	जिला वनसंरक्षक स्थल निरिक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii) 8, और 9 में पुछे गये तथ्यो को दर्शाते हुए संलग्न करे।	प्रपत्र-III में दर्शाया गया है।					
12	विभाग/ जिला प्रोफाईल						
(i)	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	वनमण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2841.140 वर्ग किलोमीटर है।					
(ii)	वनमण्डल का वन क्षेत्र	वनमण्डल धरमजयगढ़ का वन क्षेत्र 1713.419 वर्ग किलोमीटर है।					

(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	संख्या — , रकबा 124.54 हे.
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रति पूरक वनीकरण	वर्ष 1980 से भारत सरकार / राज्य सरकार / नोडल अधिकारी मुख्य संरक्षक भू सर्वे से प्राप्त स्विकृति के अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर	50.000 हे.
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	-----
(v)	अब तक प्रतिपूरक / वनीकरण में हुई प्रगति	
(क)	वनभूमि पर	807.000 हे.
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	-----
	प्रस्ताव को स्विकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा करने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा माँग की गई वन भूमि न्यूनतम है एवं राष्ट्रीय हित में परियोजना स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :- 01.03.17

स्थान :- धरमजयगढ़

हस्ताक्षर

नाम

S.S. Ranawat

